भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या: 961</u>

<u>बुधवार, 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

व्यापार को सुगम बनाना

961. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में व्यापार को सुगम बनाने हेतु राज्य-वार सुधार लाने के लिए सरकार और राज्यों ने क्या सुधार किए हैं;

(ख) भारत में व्यवसाय करने के मामले में राज्यों की सुगमता रैंकिंग किस प्रकार निर्धारित की जाती है;

(ग) क्या भारत में व्यापार को सुगम बनाने हेतु राज्यों की रैंकिंग निर्धारण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ मिलकर देश में व्यावसायिक विनियामक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुधारों का नेतृत्व करता है। डीपीआईआईटी ने वर्ष 2015 में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक एक गतिशील सुधार कार्य शुरु किया है, जो कुछ निर्धारित सुधार मानदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। इन सुधारों का फोकस मौजूदा विनियमों और प्रक्रियों को सरल एवं कारगर बनाने तथा गैरजरूरी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को हटाने पर है। इस कार्य योजना में कई सुधार क्षेत्र जैसे निवेश इनेबलर्स, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, भू-प्रशासन तथा भूमि और सम्पत्ति का अंतरण, भूमि आवंटन, निर्माण परमिट इनेबलर्स, श्रम विनियम इनेबलर्स, पर्यावरण पंजीकरण इनेबलर्स, निरीक्षण इनेबलर्स, करों का भुगतान, उपयोगिता परमिट प्राप्त करना शामिल हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके द्वारा कार्यान्वित सुधारों को बीआरएपी पोर्टल (https://eodb.dpiit.gov.in/) पर दर्ज किया गया है।

(ख) : संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक सुधार के संबंध में प्रयोक्ताओं/पेशेवरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) और (घ) : व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत किए जाने वाले मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रकृति लगातार विकसित होने की है तथा यह सुनिश्चित करती है कि निरंतर परामर्श प्रक्रिया के जरिए प्रत्येक चरण में सुधार किए जाएं। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से स्टेकहोल्डर्स परामर्श किया जाता है और कार्य योजना तैयार की जाती है ताकि भारत में व्यवसाय विनियामक परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए सुधार किए जा सकें।

*****